

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 7 अगस्त, 2002 (श्रावण 16, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हुकुम सिंह कराडा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के रहली क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों को रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामप्रताप सिंह, सदस्य, सतना जिले की मैहर कृषि मंडी में अवैधानिक टेक्स वसूली के विरुद्ध आंदोलन करने वाले कृषकों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जेहर सिंह मरावी, सदस्य, डिण्डोरी जिले के -

(क) ग्राम नेवसा के पास घोघटा नाले पर पुलिया बनाये जाने;

(ख) शासकीय महाविद्यालय डिण्डोरी के भवन का विस्तार कराये जाने, तथा

(2) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य -

(क) भोपाल नगर निगम द्वारा वसूल की जा रही शिक्षा उपकर की राशि स्कूल सुविधा पर ही खर्च किये जाने; एवं

(ख) भोपाल नगर में वाहन प्रदूषण के नाम पर हो रही अवैध वसूली रोके जाने,

के सम्बन्ध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

प्रस्ताव निगम संशोधन

- 2 -

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित
समय
30 मि.

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 19 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

3 घन्टे

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश बेट विधेयक, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(3) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(4) श्री दीपक सक्सेना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 22 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अर्द्धा

मध्यप्रदेश में पंचायतराज एवं विकेन्द्रीकरण संबंधी स्टेट्स रिपोर्ट के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण।

डॉ. ए.के. पद्मासी

भोपाल :

सचिव

दिनांक 6 अगस्त, 2002

मध्यप्रदेश विधान सभा।

(प्रस्ताव निगम संशोधन के लिए अनुमति दिलाई गई अवधि (१))

(प्रस्ताव निगम संशोधन के लिए अनुमति दिलाई गई अवधि (२))

(प्रस्ताव निगम संशोधन के लिए अनुमति दिलाई गई अवधि (३))

(प्रस्ताव निगम संशोधन के लिए अनुमति दिलाई गई अवधि (४))

(प्रस्ताव निगम संशोधन के लिए अनुमति दिलाई गई अवधि (५))